पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से महिला अपराधों में लिप्त अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने में मिली उल्लेखनीय सफलता

अपर मुख्य सचिव, गृह ने अभियोजन निदेशालय का आकास्मिक निरीक्षण किया

12 अप्रैल को राज्य मुख्यालय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग से जिलेवार शासन करेगा समीक्षा

मिशन शक्ति तृतीय चरण के अन्तर्गत महिला अपराधो में बहराइच, प्रतापगढ़ , शाहजहांपुर बुलन्दशहर व सोनभद्र, हाथरस व फिरोजाबाद में हुई मृत्यु दण्ड की सजा

महिला अपराधों में आजीवन कारावास सजा दिलाने में सर्वश्रेष्ठ रहेः बरेली, सीतापुर व अलीगढ़

10 वर्ष व उससे अधिक की सजा दिलाने में बरेली, सीतापुर व अलीगढ़ रहे सर्वोत्तम

10 वर्ष से कम की सजा दिलाने वाले कानुपर देहात, बरेली व अलीगढ़ जनपद रहे

लखनऊः 06 अप्रैल, 2022

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम सजा दिलाये जाने हेतु प्रयास और अधिक तेज किये गये है।

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज अभियोजन निदेशालय का आकास्मिक निरीक्षण कर अबतक हुई कार्यवाही की समीक्षा की।

शासन के निर्देश पर अभियोजन विभाग द्वारा आगामी 12 अप्रैल को राज्य मुख्यालय पर वीडियों कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया है, जिसमे सभी जनपदों में अभियोजन कार्य से जुड़े अधिकारियो द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों की गहन समीक्षा की जायेगी।

श्री अवस्थी ने विभिन्न गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाये जाने के हर संभव प्रयास किये जाने के निर्देश दिये है। उनके द्वारा महिला अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाये जाने के प्रयासों की गहन समीक्षा भी की गई।

इस अवसर पर सचिव,गृह श्री तरूण गाबा व श्री बी0डी0 पाल्सन, विशेष सचिव, गृह, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, श्री आशुतोष पाण्डेय व अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन श्री आशुतोष पाण्डेय ने बताया कि विगत 21.08. 2021 से 31.12.2021 तक मिशन शक्ति तृतीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्व अपराधो में बहराइच व प्रतापगढ़ जनपद में क्रमशः 5—5, शाहजहांपुर में 3, बुलन्दशहर व सोनभद्र में 2—2 तथा हाथरस व फिरोजाबाद में 1—1 अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा दिलायी गयी है।

महिला अपराधों में आजीवन कारावास सजा प्रभावी पैरवी कर दिलाने वाले जनपदों में क्रमशः बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, मैनपुरी, इटावा, देवरिया, आगरा, चित्रकूट, गाजीपुर, शामली व ललितपुर के नाम प्रमुख है जहां 10 से अधिक अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ कार्य क्रमशः बरेली, सीतापुर व अलीगढ़ रहे है जहां क्रमशः 63, 43 व 35 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में अभियोजन विभाग को सफलता प्राप्त हुई है।

अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन ने यह भी बताया कि 10 वर्ष व उससे अधिक की सजा 10 से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाने वाले जनपदों में क्रमशः बरेली, सीतापुर, अलीगढ़, बदांयू, अमरोहा, मथुरा, जालौन, अयोध्या, वाराणसी, कानपुरनगर, कानपुरदेहात, मुज्जफ्फरनगर, जौनपुर, लखनऊ व बलिया के नाम शामिल है। इनमे सर्वाधिक प्रमुख 3 जनपदों के नाम क्रमशः बरेली, सीतापुर व अलीगढ़ है, जहा 35, 28 व 25 अभियुक्तों को उक्त सजा दिलाने मे सफलता प्राप्त हुई है।

श्री पाण्डे ने बताया कि 10 वर्ष से कम की 50 से अधिक अभियुक्तों को सजा दिलाने वाले जनपदों के नाम क्रमशः कानपुर देहात, बरेली, अलीगढ़, इटावा, सीतापुर, प्रतापगढ़ व महोबा के नाम शामिल है। इनमें सर्वाधिक संख्या कानुपर देहात, बरेली व अलीगढ़ की है जहां क्रमशः 110, 103 व 89 अभियुक्तों को उक्त सजा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिलायी जा सकी है।

———————

सम्पर्क– प्रभात श्रीवास्तव, सूचनाधिकारी